CHETANA
INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION (CIJE)
Peer Reviewed/Refereed Journal
(ISSN: 2455-8729 (E) / 2231-3613 (P))
Impact Factor
SJIF 2023 - 7.286

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

समान नागरिक संहिता : व्यक्तिगत कानूनों पर समान नागरिक संहिता के प्रभाव

डॉ श्रधा व्यास
सहायक आचार्य, राजनीति विभाग,
सेठ ज्ञानीराम बंशीधर पोदार कॉलेज, नवलगढ़ , झुंझुनू (राजस्थान)
Email ID: sradhavyas02@gmail.com, Mob.-9460560108

First draft received: 15.03.2024, Reviewed: 25.03.2024, Final proof received: 27.03.2024, Accepted: 31.03.2024

सार संक्षेप

कानून और न्याय मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि न्यायालय संसद को कोई कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता है और इसने देश में समान नागरिक संहिता (UCC) की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं (PIL) को खारिज करने की मांग की है। एक समान नागरिक संहिता (UCC) एक ऐसे सामान्य कानून को संदर्भित करता है जो व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, विरासत, तलाक, गोद लेने आदि में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होता है। इसका उद्देश्य विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करना है जो वर्तमान में विभिन्न धार्मिक समुदायों के भीतर व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करते हैं। यूसीसी का मुख्य उद्देश्य विभिन्न धर्मों और समुदायों पर आधारित असमान कानूनी प्रणालियों को समाप्त करके सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है। इस संहिता का लक्ष्य, न केवल समुदायों के बीच बल्कि एक समुदाय के भीतर भी कानूनों की एकरूपता को सुनिश्चित करना है। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिये एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिये विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद-44, संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्वों में से एक है। अनुच्छेद 44 का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में निहित "धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" की अवधारणा को मजबूत करना है।

मुख्य शब्द : *समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 4 आदि.*

प्रस्तावना

समान नागरिक संहिता (UCC) की अवधारणा का विकास औपनिवेशिक भारत में तब हुआ, जब ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया, हालाँकि रिपोर्ट में हिंदू व मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस एकरूपता से बाहर रखने की सिफारिश की गई। ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों की संख्या में वृद्धि ने सरकार को वर्ष 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिये बी.एन. राव समिति गठित करने के लिये मजबूर किया।[1] इन सिफारिशों के आधार पर हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिये निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित कानून को संशोधित एवं संहिताबद्ध करने हेतु वर्ष 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में एक विधेयक को अपनाया गया। हालाँकि मुस्लिम, इसाई और पारसी लोगों के लिये अलग-अलग व्यक्तिगत कानून थे। कानून में समरूपता लाने के लिये विभिन्न न्यायालयों ने अक्सर अपने निर्णयों में कहा है कि सरकार को एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिये।

- शाह बानो मामले (1985) में दिया गया निर्णय सर्वविदित है।
- सरला मुद्गल वाद (1995) भी इस संबंध में काफी चर्चित है, जो कि बहुविवाह के मामलों और इससे संबंधित कानूनों के बीच विवाद से जुड़ा हुआ था।

प्रायः यह तर्क दिया जाता है 'ट्रिपल तलाक' और बहुविवाह जैसी प्रथाएँ एक महिला के सम्मान तथा उसके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, केंद्र ने सवाल उठाया है कि क्या धार्मिक प्रथाओं को दी गई संवैधानिक सुरक्षा उन प्रथाओं तक भी विस्तारित होनी चाहिये जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।[2]

1) भारत में समान नागरिक संहिता की स्थिति

वर्तमान में अधिकांश भारतीय कानून, सिविल मामलों में एक समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं, जैसे- भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872, नागरिक प्रक्रिया संहिता, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882, भागीदारी अधिनियम, 1932, साक्ष्य अधिनियम, 1872 आदि। हालाँकि राज्यों ने कई कानूनों में संशोधन किये हैं परंतु धर्मनिरपेक्षता संबंधी कानूनों में अभी भी विविधता है। हाल ही में कई राज्यों ने एक समान रूप से मोटर वाहन अधिनियम, 2019 को लागू करने से इनकार कर दिया था। वर्तमान में गोवा, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ UCC लागू है।[3]

2) व्यक्तिगत कानूनों पर समान नागरिक संहिता का निहितार्थ:

- समाज के संवेदनशील वर्ग को संरक्षण: समान नागरिक संहिता का उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि एकरूपता से देश में राष्ट्रवादी भावना को भी बल मिलेगा।
- कानूनों का सरलीकरण:समान नागरिक संहिता विवाह, विरासत और उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानूनों को सरल बनाएगी। परिणामस्वरूप समान नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों।
- धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बल:भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द सन्निहित है और एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिये एक समान कानून बनाना चाहिये।
- लैंगिक न्याय: यदि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है, तो वर्तमान में मौजूद सभी व्यक्तिगत कानून समाप्त हो जाएंगे, जिससे उन कानूनों में मौजूद लैंगिक पक्षपात की समस्या से भी निपटा जा सकेगा।

संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लिखित राज्य नीति के निर्देशक तत्त्वों में यह प्रावधान है कि "राज्य पूरे भारत के क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।" हालाँकि, राज्य नीति के निर्देशक तत्त्व होने के कारण, यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है।

भारत में समान नागरिक संहिता की स्थिति

वर्तमान में भी भारत में राष्ट्रीय स्तर पर समान नागरिक संहिता (UCC) लागू नहीं है। इसी कारण से भारत में धार्मिक रीति-रिवाजों और प्रथाओं पर आधारित अलग-अलग व्यक्तिगत कानून विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों को नियंत्रित करते हैं। हालाँकि, विगत कुछ वर्षों में, केंद्र सरकार के साथ-साथ कुछ राज्यों ने UCC के कार्यान्वयन के लिए कुछ प्रयास किये हैं। इन प्रयासों को निम्नलिखित दो शीर्षकों के अंतर्गत देखा जा सकता है:

3) केंद्र द्वारा उठाए गए कदम

विशेष विवाह अधिनियम, 1954: यह अधिनियम विवाह के लिए एक धर्मनिरपेक्ष विकल्प प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह भारत के लोगों और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए सिविल विवाह का प्रावधान करता है, चाहे किसी भी पक्ष का धर्म या आस्था कुछ भी हो।

हिंदू कोड बिल: 1950 के दशक में संसद द्वारा पारित हिंदू कोड बिलों को यूसीसी की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जाता है। इसके अंतर्गत अधिनियमित निम्नलिखित 4 अधिनियम हिंदू समुदाय के भीतर व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध करने और उनमें एकरूपता लाने का प्रयास करते हैं:

- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
- हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956
- हिंदू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956

नोट: इन कानूनों के प्रयोजन के लिए 'हिंदू' शब्द में सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल हैं।

4) राज्यों द्वारा उठाए गये कदम

गोवा

- गोवा भारत का पहला राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। 1961 में भारत द्वारा इस क्षेत्र को नियंत्रण में लेने के पश्चात् संसद ने 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता को जारी रखने के लिए एक कानून बनाया।[4]
- गोवा में इस कानून को गोवा सिविल कोड या गोवा फैमिली कोड के नाम से जाना जाता है और यह सभी गोवावासियों पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी धार्मिक या जातीय समुदाय के हों।

उत्तराखंड

- हाल ही में, उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पारित किया है, जो समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
- यह विधेयक विवाह, तलाक, संपत्ति के उत्तराधिकार आदि जैसे मामलों के लिए एक समान कानून का प्रावधान करता है, और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होता है।

5) वर्तमान स्थिति

भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) का देशव्यापी कार्यान्वयन अभी भी एक दूर का सपना बना हुआ है। अब तक, विभिन्न धर्मों से संबंधित व्यक्तियों के विवाह और तलाक से जुड़े अधिकांश पहलुओं को उनके संबंधित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जैसे:

- हिंदू विवाह अधिनियम (1955)
- मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लिकेशन एक्ट (1937)
- ईसाई मैरिज ऐक्ट (1872)
- पारसी विवाह और तलाक अधिनियम (1937) इत्यादि

संविधान सभा में बहस

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दे पर संविधान सभा में व्यापक बहस हुई। बहस के दौरान प्रस्तुत प्रमुख तर्कों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

6) पक्ष में तर्क

समान नागरिक संहिता (UCC) के समर्थकों में संविधान सभा के सदस्य बी.आर. आंबेडकर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर और के.एम. मुंशी शामिल थे। उन्होंने एक समान नागरिक संहिता के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये:

- समानता और न्याय: उनके अनुसार, एक समान नागरिक संहिता धार्मिक संबद्धता की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित करके समानता और न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखेगी।
- धर्मनिरपेक्षता: एक समान नागरिक संहिता भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के साथ संरेखित होगी, व्यक्तिगत कानूनों को धार्मिक विचारों से अलग करेगी और एकीकृत राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देगी।5
- महिलाओं के अधिकार: यह कोड व्यक्तिगत कानूनों में प्रचलित भेदभावपूर्ण प्रथाओं, विशेष रूप से विवाह, तलाक और विरासत जैसे मामलों में महिलाओं के अधिकारों को प्रभावित करने वाली प्रथाओं को प्रतिबंध कर सकता है। इस प्रकार, यह लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा।

7) विपक्ष में तर्क

समान नागरिक संहिता (UCC) के विरोधियों में संविधान सभा के सदस्य नजीरुद्दीन अहमद और मोहम्मद इस्माइल खान जैसे सदस्य शामिल थे। उन्होंने समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित आशंकाएँ व्यक्त कीं:

- धार्मिक स्वायत्तता: यह विभिन्न समुदायों की धार्मिक स्वायत्तता पर संभावित रूप से अतिक्रमण कर सकता है क्योंकि यह उन समुदायों की सहमति के बिना धार्मिक रीति-रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप करेगा।
- सांस्कृतिक संवेदनशीलता: एक समान कोड विभिन्न समुदायों के विशिष्ट रीति-रिवाजों और संवेदनशीलताओं को पर्याप्त रूप से समायोजित नहीं कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप, यह भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं की विविधता को बाधित कर सकता है।6
- सामाजिक अशांति: व्यक्तिगत मामलों से संबंधित प्रथाएँ भारत में विभिन्न समुदायों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचानों में गहराई से निहित हैं। एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का तात्पर्य उन्हें अपनी पहचान त्यागने के लिए बाध्य करना हो सकता है और इससे सामाजिक अशांति और सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है।

चूंकि समान नागरिक संहिता पर संविधान सभा में आम सहमति नहीं बन पाई थी, इसलिए इसे अनुच्छेद 44 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों के अंतर्गत रखा गया था।[7]

समान नागरिक संहिता: उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय

समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में विचार किया गया है। तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐतिहासिक निर्णय और टिप्पणियाँ पारित की हैं जिन्होंने यूसीसी पर चर्चा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985)	इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मुस्लिम महिलाएं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत इद्दत अवधि से अलग भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार हैं। इसमें कहा गया कि एक समान नागरिक संहिता कुछ धार्मिक विचारधाराओं पर आधारित विरोधाभासों को दूर करने में मदद करेगी।
सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995)	इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक हिंदू पति, इस्लाम धर्म अपनाने के पश्चात् अपनी पहली शादी को ख़त्म किये बिना दूसरा विवाह नहीं कर सकता। माननीय न्यायालय ने लैंगिक न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर जोर दिया।
शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017)	इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया, यह कहते हुए कि यह मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस फैसले ने लैंगिक भेदभाव को दूर करने और विवाह एवं तलाक को नियंत्रित करने वाले समान कानूनों को सुनिश्चित करने के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ (2018)	इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यभिचार से संबंधित आईपीसी की धारा 497 को इस आधार पर रद्द कर दिया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है। अदालत ने लैंगिक-तटस्थ कानूनों की आवश्यकता पर जोर दिया और व्यक्तिगत कानूनों में विसंगतियों को दूर करने के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का सुझाव दिया।
इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य (2018)	इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने केरल में सबरीमला मंदिर में मासिक धर्म वाली महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को संबोधित किया। फैसले में परस्पर विरोधी अधिकारों को सामंजस्य स्थापित करने और सभी धर्मों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।

8) चुनौतियाँ

- विविध व्यक्तिगत कानून: विभिन्न समुदायों के बीच रीति-रिवाज़ बहुत भिन्न होते हैं। यह भी एक मिथक है कि हिंदू एक समान कानून द्वारा शासित होते हैं। उत्तर में निकट संबंधियों के बीच विवाह वर्जित है लेकिन दक्षिण में इसे शुभ माना जाता है। पर्सनल लॉ में एकरूपता का अभाव मुसलमानों और ईसाइयों के लिये भी सही है। संविधान द्वारा नगालैंड, मेघालय और मिज़ोरम के

स्थानीय रीति-रिवाजों को सुरक्षा दी गई है। व्यक्तिगत कानूनों की अत्यधिक विविधता (जिस भाव के साथ उनका पालन किया जाता है) किसी भी प्रकार की एकरूपता को प्राप्त करना बहुत कठिन बना देते हैं। विभिन्न समुदायों के बीच साझे विचार स्थापित करना जटिल कार्य है।

- सांप्रदायिकता की राजनीति: कई विश्लेषकों का मत है कि समान नागरिक संहिता की मांग केवल सांप्रदायिकता की राजनीति के संदर्भ में की जाती है। समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक सुधार की आड़ में इसे बहुसंख्यकवाद के रूप में देखता है।
- संवैधानिक बाधा: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के विरुद्ध है। परस्पर विश्वास के निर्माण के लिये सरकार और समाज को कड़ी मेहनत करनी होगी, किंतु इससे भी महत्त्वपूर्ण यह है कि धार्मिक रूढ़िवादियों के बजाय इसे लोकहित के रूप में स्थापित किया जाए। एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण के बजाय सरकार विवाह, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे अलग-अलग पहलुओं को चरणबद्ध तरीके से समान नागरिक संहिता में शामिल कर सकती है। सभी व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध किया जाना आवश्यक है, ताकि उनमें से प्रत्येक में पूर्वाग्रह और रुढ़िवादी पहलुओं को रेखांकित कर मौलिक अधिकारों के आधार पर उनका परीक्षण किया जा सके।

9) जनहित याचिकाओं के विषय

- याचिकाकर्ताओं ने विवाह, तलाक, भरण-पोषण और गुजारा भत्ता (पूर्व पत्नी या पति को कानून द्वारा भुगतान किया जाने वाला धन) को विनियमित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता की मांग की है।[8-9]
- याचिकाओं में तलाक के कानूनों के संबंध में विसंगतियों को दूर करने और उन्हें सभी नागरिकों के लिये एक समान बनाने तथा बच्चों को गोद लेने एवं संरक्षकता के लिये समान दिशा-निर्देश देने की मांग की गई थी।

10) सरकार का रुख

- न्यायालय इस मामले में कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकती क्योंकि यह नीति का मामला है जिसका फैसला जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को करना चाहिये। विधायिका को कानून पारित करने या वीटो करने की शक्ति है।
- विधि मंत्रालय ने विधि आयोग से सामान नागरिक संहिता से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जाँच करने और समुदायों को शासित करने वाले विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों की संवेदनशीलता, उनके गहन अध्ययन के आधार पर विचार करते हुए सिफारिशें करने का अनुरोध किया था।
- 21वें विधि आयोग ने अगस्त 2018 में 'परिवार कानून में सुधार' शीर्षक से एक परामर्श पत्र जारी किया था लेकिन 21वें विधि आयोग का कार्यकाल अगस्त 2018 में ही समाप्त हो गया।[10]

सन्दर्भ

1. "समान नागरिक संहिता: पहल न होने के असल कारण". BBC News हिंदी. मूल से 2 दिसंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 7 अप्रैल 2020.
2. "Triple Talaq: Ban this un-Islamic practice and bring in a uniform civil code". Hindustan Times. 22 नव॰ 2017. मूल से 6 अगस्त 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 7 अप्रैल 2020. |date= में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद)
3. "Has the Supreme Court set the ball rolling for a Uniform Civil Code?". Hindustan Times (अंग्रेज़ी में). 15 मार्च 2021. अभिगमन तिथि 1 जुलाई 2023.
4. Shimon Shetreet; Hiram E. Chodosh (December 2014). Uniform Civil Code for India: Proposed Blueprint for Scholarly Discourse. Oxford University Press. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0198077121. अभिगमन तिथि 2020-08-22.
5. "Article 44 in the Constitution of India 1949". अभिगमन तिथि 2020-08-22.
6. Rina Verma Williams (2006). Postcolonial Politics and Personal Laws. Oxford University Press. पपृ॰ 18, 28, 106, 107, 119. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 0195680146.
7. "Occasional Paper 7: Islamic Law and the Colonial Encounter in British India | Women Reclaiming and Redefining Cultures". www.wluml.org. मूल से 18 अक्तूबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 14 अक्तूबर 2016.
8. "Ambedkar with UCC". Outlook India. मूल से 14 अप्रैल 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 14 August 2013.
9. "How Muslim fears were allayed, and the UCC became a directive principle | India News - Times of India". The Times of India. मूल से 4 नवंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 7 अप्रैल 2020.
10. "सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता पर मोदी सरकार की खोली आंखें, कहा- एक देश एक कानून की दिशा में बढ़ो आगे". Dainik Jagran. मूल से 26 सितंबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 सितंबर 2019.